



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-अ

वर्ष १, अंक ३१]

बुधवार, मे १३, २०१५/वैशाख २३, शके १९३७

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक ६८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांन्वितिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह (परिवहन) विभाग

२ रा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ मे २०१५

अधिसूचना

मोटर वाहन अधिनियम, १९८८.

क्रमांक एमव्हीआर. ०२१५/प्र.क्र. १०१/परि-२.— मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) चे कलम २१५ याची पोट-कलमे (२) व (३) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत काढलेल्या सर्व अधिसूचना किंवा आदेश यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी, जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती पुढीलप्रमाणे पुनर्गठित करीत आहे :—

(क) राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद—

|  |    |    |    |            |
|--|----|----|----|------------|
| (१) मा. परिवहन मंत्री  | .. | .. | .. | अध्यक्ष    |
| (२) मा. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री   | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (३) मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम)                                    | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (४) मा. राज्यमंत्री (परिवहन)   | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (५) मा. राज्यमंत्री (गृह)  | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (६) अपर मुख्य सचिव (गृह)   | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (७) अपर मुख्य सचिव (परिवहन)  | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (८) सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग)             | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (९) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका  | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (१०) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक)  | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (११) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (१२) पोलीस सह आयुक्त (वाहतूक), मुंबई                                       | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (१३) संचालक, मार्ग परिवहन मध्यवर्ती परिवहन संस्था, पुणे                    | .. | .. | .. | सदस्य      |
| (१४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई                                | .. | .. | .. | सदस्य-सचिव |

(१)

खालील अधिकारी हे परिषदेच्या बैठकीसाठी विशेष निमंत्रिक अधिकारी असतील :—

- (१) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
- (२) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग-२)
- (३) प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण विभाग)
- (४) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई
- (५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई
- (६) अध्यक्ष, वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाईल असोसिएशन, ७६, वीर नरिमन रोड, चर्चगेट, मुंबई
- (७) संचालक, मुंबई दूरदर्शन केंद्र, वरळी, मुंबई
- (८) अध्यक्ष, महाराष्ट्र ट्रक टेम्पो ओनर्स असोसिएशन, २१०, दुसरा मजला, ट्रॉपिनेक्स हाऊस, १५, सोलापूर स्ट्रीट, मुंबई.

(ख) जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती—

- |   |    |    |    |             |
|---|----|----|----|-------------|
| (१) जिल्हाधिकारी/पोलीस आयुक्त   | .. | .. | .. | अध्यक्ष     |
| (२) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी   | .. | .. | .. | सदस्य       |
| (३) पोलीस अधीक्षक/पोलीस उपायुक्त  | .. | .. | .. | सदस्य       |
| (४) जिल्हा शल्यचिकित्सक   | .. | .. | .. | सदस्य       |
| (५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग  | .. | .. | .. | सदस्य       |
| (६) विभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ                                       | .. | .. | .. | सदस्य       |
| (७) जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपरिषदेचा मुख्याधिकारी किंवा महानगरपालिकेचा नगरपालिका उप आयुक्त | .. | .. | .. | सदस्य       |
| (८) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किंवा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी                                    | .. | .. | .. | सदस्य-सचिव. |

२. राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद ही, रस्त्यांच्या सुरक्षेसंबंधी उपाययोजना, धोरणाची अंमलबजावणी व सनियंत्रण यंत्रणा यासाठी प्रत्येक सहा महिन्यांतून बैठक घेईल. तसेच जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती प्रत्येक तीन महिन्यांतून बैठक घेईल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प्रकाश साबळे,  
शासनाचे उप सचिव.

**HOME (TRANSPORT) DEPARTMENT**

2nd Floor, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,  
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 13th May 2015.

*NOTIFICATION*

MOTOR VEHICLE ACT, 1988.

No. MVR. 0215/C.R.102/TRA-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 215 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of all notification or orders issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby re-constitutes the State Road Safety Council and District Road Safety Committee for each district, as follows :—

(A) *State Road Safety Council*—

- |     |  |    |    |    |                   |
|-----|--|----|----|----|-------------------|
| 1.  | Hon. Minister Transport  | .. | .. | .. | Chairman          |
| 2.  | Hon. Minister for Public Works Department  | .. | .. | .. | Member            |
| 3.  | Hon. Minister of State (Public Works Department)                                   | .. | .. | .. | Member            |
| 4.  | Hon. Minister of State (Transport)   | .. | .. | .. | Member            |
| 5.  | Hon. Minister of State (Home)  | .. | .. | .. | Member            |
| 6.  | Additional Chief Secretary (Home)  | .. | .. | .. | Member            |
| 7.  | Additional Chief Secretary (Transport)   | .. | .. | .. | Member            |
| 8.  | Secretary (Public Works Department) (State and National Highway).                  |    |    |    | Member            |
| 9.  | Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai                              | .. | .. | .. | Member            |
| 10. | Additional Director General of Police (Traffic)                                    | .. | .. | .. | Member            |
| 11. | Vice-Chairman and Managing Director, Maharashtra State Road Transport Corporation. |    |    |    | Member            |
| 12. | Joint Commissioner of Police (Traffic), Mumbai                                     | .. | .. | .. | Member            |
| 13. | Director, Central Institute of Road Transport, Pune                                | .. | .. | .. | Member            |
| 14. | Transport Commissioner, Maharashtra State, Mumbai                                  | .. | .. | .. | Member-Secretary. |

The following shall be the special invitees to the meeting of the Council :—

1. Additional Chief Secretary (Public Health Department)
2. Principal Secretary (Urban Development Department)
3. Principal Secretary (School Education Department)
4. Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Mumbai.
5. Director General of Information and Public Relation, Mumbai.
6. President, Western India Automobile Association, 76, Veer Nariman Road, Churchgate, Mumbai.
7. Director, Mumbai Doordarshan Kendra Worli, Mumbai.
8. President, Maharashtra Truck-Tempo Owners Association, 210, 2nd Floor, Trapinex House, 15, Solapur Street, Mumbai.

(B) *District Road Safety Committee—*

- |   |    |    |                   |
|---|----|----|-------------------|
| 1. Collector/Commissioner of Police   | .. | .. | Chairman          |
| 2. Chief Executive Office of Zilla Parishad   | .. | .. | Member            |
| 3. Superintendent of Police or Deputy Commissioner of Police  | .. | .. | Member            |
| 4. Civil Surgeon  | .. | .. | Member            |
| 5. Executive Engineer, Public Works Department  |    | .. | Member            |
| 6. Divisional Controller, Maharashtra State Road Transport Corporation.   |    | .. | Member            |
| 7. Chief Officer of the Municipal Council at the District Headquarters or the Deputy Municipal Commissioner of the Municipal Corporation. |    | .. | Member            |
| 8. Regional Transport Officer or Deputy Regional Transport Officer.   |    | .. | Member-Secretary. |

2. The State Road Safety Council shall hold meeting in every six months to go through the plans of road safety measures, implementation strategy and the monitoring mechanism. Whereas District Road Safety Committee shall hold meeting in every three months.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

PRAKASH SABALE,  
Deputy Secretary to Government.